GOVERNMENT OF CHHATTISGARH
Electronics and Information Technology Department
Mantralaya, Naya RAIPUR

::NOTIFICATION::

Raipur, Dated- 25/2/2015

No: F 4-12/20142/56/EIT :: State Government hereby notifies Electronics and IT/ITES Investment Policy of Chhattisgarh, 2014 –19 as enclosed in Annexure – 1 with effect from 1st November 2014 to 31st Octomber 2019.

In the name of the Governor of Chhattisgarh
and by Order,

25/2/15
(B Ananda Babu)
Secretary
Govt. of Chhattisgarh
Electronics and Information Technology

No. F 4-12/20142/56/EIT

Raipur , Date- 25 February 2015

Copy forwarded to:

1. Principal Secretary to the Governor of Chhhattisgarh
2. Principal Secretary to the Chhattisgarh Legislative Assembly
3. Registrar General, High Court, Bilaspur, Chhattisgarh
4. Secretary to the Chief Minister, Government of Chhattisgarh- for information.
5. Special Assistant / Personal Secretary / Personal Assistant to Minister / Minister for State, Government of Chhattisgarh (all)- for information.
6. Deputy Secretary, Office of Advocate General, Chhhattisgarh
7. Accountant General, Chhattisgarh – for information.
8. Under Secretary to Chief Secretary, Government of Chhattisgarh
9. President, Board of Revenue, Chhattisgarh
10. Additional Chief Secretary / Principal Secretary / Secretary / Special Secretary, Government of Chhattisgarh (all)
11. Additional Secretary / Joint Secretary / Deputy Secretary / Under Secretary, Government of Chhattisgarh (all)
12. Controller, Government Printing Press, Rajnandgaon – for publication in gazette.
13. Heads of Departments, Chhattisgarh (all)
14. Divisional Commissioner, Chhattisgarh (all)
15. Director, Public Relations, Chhattisgarh
16. Collectors, Chhattisgarh (all)
17. CEO, CHiPS – for information, necessary action and web publication on the websites of Chhattisgarh, CHiPS and CHOiCE.
18. State Informatics Officer, NIC, Chhattisgarh

– for information and necessary action.

Saurabh Kumar
Deputy Secretary
Government of Chhattisgarh
Electronics & Information Technology

2015

Electronics, IT and ITeS Investment Policy of Chhattisgarh 2014-19

(Effective from 01 November 2014)

Department of Electronics and Information Technology,
Government of Chhattisgarh
Mahanadi Bhawan, Mantralaya, Naya Raipur, Chhattisgarh

Contents

1. Prelude 2
2. Vision 2
3. Objective 2
4. Advantage @ investment in Chhattisgarh 3
5. Definition 4
6. Incentives for Electronics, IT and ITeS related industries 5
7. Additional Incentives 7
8. Special Incentive Package 8
9. Empowered Committee 9
10. Nodal Agency 10
11. Other Conditions 10

Electronics, IT and ITeS Investment Policy of Chhattisgarh 2014 - 2019

1. Prelude

Chhattisgarh is one of the leading States in providing good governance through IT and e-Governance. Various departments of the State are providing numerous citizen services through e-Governance. Hon'ble Prime Minister has envisioned 'Make in India' at the national level and accordingly Hon'ble Chief Minister is focusing on 'Make in Chhattisgarh'. In this context, a new policy is the need of the hour for promoting investment in Electronics, Information Technology and Information Technology enabled services related sectors. This policy focuses on incentives on fixed capital and working capital, IT infrastructure development along with Capacity Building of work force. An online Single Window is being setup for facilitating the investors and for timely providing various incentives/concessions under the policy. The implementation of policy will be regularly monitored and reviewed by High level Empowered Committee for its effective implementation. State Government hereby notifies Electronics, IT & ITeS Investment Policy of Chhattisgarh 2014-19.

2. Vision

The State of Chhattisgarh recognizes the importance of Information and Communication Technology as a key enabler in its economic development.

Accordingly, the State has prepared its IT/ ITES Investment policy with a vision of establishing an information society consisting of informed, active and therefore responsible citizens – the basic tenet of a true democracy. The State's Electronics & IT/ ITES Investment Policy has been designed to achieve the vision of the Government to create an 'e'nabled society effectively contributing to the Social and Economic Development of the State.

3. Objectives

3.1. Encourage investment in Electronics, Information Technology and Information Technology enabled Service related sectors in the State.

3.2. Develop Naya Raipur and other major cities of the state as IT Hub and Electronic Manufacturing Clusters thereby increase local employment and GSDP.

3.3. Skill development of local youth as per the need of Electronics, Information Technology and Information Technology enabled Service related industries.

3.4. Promote development of IT Hubs/IT Park by providing incentives to Investors for IT Infrastructure Development.

4. Advantage @ investment in Chhattisgarh

4.1. Naya Raipur – 1st Smart City of the country and upcoming I.T Hub

Naya Raipur is the 1st Smart City of India with an area of 237 sq. k.m in which an investment of Rs.5,000 crores is already done and a further investment of Rs. 10,000 crores is in the pipeline.

I.T.I.R (Information Technology Investment Region) has been proposed for developing Naya Raipur as IT Hub of the State. An IT Tower is fast coming up as Plug & Play infrastructure for IT/ITeS industries. IT Incubation Centre and Startup Village are also proposed in this city. An entire sector of the city has been earmarked for establishing Electronic Manufacturing Cluster.

4.2. High Return on Investment

The investors are expected to reap in high returns on Investment in short time due to incentives for fixed and working capital on investment including capital and operational costs and low cost of living in the cities of Chhattisgarh compared to other cities of the country.

4.3. Human Resource

Premier educational institutes of national repute like Indian Institute of Management (IIM), Indian Institute of Technology (IIT), National Institute of Technology (NIT), Indian Institute of Information Technology (IIIT), Hidayatullah National Law University (HNLU), All India Institute of Medical Science (AIIMS), Chhattisgarh Swami Vivekananda Technical University, Guru Ghasidas Central University and 50 Engineering Colleges, 25 Polytechnics and 118 ITIs of the State will ensure availability of quality manpower for companies setting up base in Chhattisgarh.

State Capacity building programme is being implemented through Skill Development Mission for capacity building in human resource. A finishing school for engineers to cater to the needs of Electronics, IT/ITeS industry is being setup. The incentives under this policy will promote the establishment of skill development institutions in the state to provide training to local manpower as per the needs of Electronics, I.T/ITeS industries.

It is being planned to conduct common campus selection for providing employment besides providing technical training to youth in coordination with technical institutions and Electronics/IT Industry.

4.4. Electricity

Chhattisgarh State is a power surplus state with current generating capacity of 21000 MW which is expected to increase to 41000 MW by the end of 12th Five Year Plan. The State's electrical tariff is 35% cheaper than all India average. Availability of uninterrupted quality power supply at a very competitive price will reduce the operational cost for Electronics Manufacturing Clusters and IT/ITeS industries thereby leading to cost effective production.

4.5. Local business prospects

Chhattisgarh is a leading state in Steel, Cement production, energy generation and mining sector. Various Departments of Chhattisgarh state are front runners in delivering various e-services through e-Governance. Hence, there is huge scope for investors in getting local business through IT/ITeS and automation in the above Industrial sectors and Government departments.

4.6. Other infrastructure

4.6.1. Capital of Chhattisgarh State is having excellent connectivity with important cities of the country by Air through an Airport ranked one of the best in Non Metro category and East-West Corridor of Railways.

4.6.2. The state has strategic depth and is seismically most stable against natural calamities such as earthquake, flood, and cyclone. The state is best suited for the establishment of Data Recovery Centre, Data Centre in the cities of Naya Raipur, Raipur, Bhilai-Durg, Bilaspur and Korba cities.

4.6.3. Excellent social infrastructure with multispecialty healthcare hospitals such as Apollo, Fortis and AIIMS.

4.6.4. Shopping malls in the city of Raipur, PVR, INOX, CineMax with 20 lakh Sq.Ft. built up space.

4.6.5. High end Hotel groups : Taj, Hyatt, Mariott & Major Luxury brands such as Jaguar, Audi, BMW present

5. Definition - The Electronics, IT or ITeS related industry is defined as:

5.1. ESDM (Electronic System Design Manufacturing as defined in the National Electronics Policy – 2012).

5.2. I.T Hardware (as defined by Electronics & Information Technology Department of GoI).

5.3. IT software, products based units

5.4. IT enabled Service related units.

5.5. Data Centre

5.6. IT/Electronic skill development.

5.7. Electronics and IT related other industries as defined by Electronics and Information Technology Department of State.

5.8. IT infrastructure development, IT Parks, IT SEZ etc.

5.9. The units as classified into Micro, Small and Medium units as per the guidelines issued by Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) Ministry, Government of India from time to time will be considered as MSME units

6. Incentives to Electronics, Information Technology and Information Technology enabled Services Sector Industries

6.1 ***Incentive for Fixed Capital Investment***— Units established in the state will be eligible for incentive upto 50% of the fixed capital investment excluding the cost of the land with maximum limit of Rs. 150 lakhs per unit.

6.2 ***Interest Subsidy***—Units established in the state will be eligible for the reimbursement of 75% of the total interest paid annually on term loan and working capital with maximum limit of Rs.110 lakhs per annum for a period of 8 years from the date of start of commercial production.

6.3 ***Rebate on Land Premium*** — Units established within notified IT Areas in the state will be eligible for rebate upto 80% on the land premium.

6.3.1 Land for such units may be allocated based on project investment per unit as given in the table.

S. No	Investment Amount/Unit (Rs in Crores)	Land available at concessional rates
1	1 to 3	Maximum 1 acres as per requirement
2	3 to 5	Maximum 2 acres as per requirement
3	5 to 10	Maximum 3 acres as per requirement
4	10 to 20	Maximum 5 acres as per requirement

5	20 to 50	Maximum 10 acres as per requirement
6	50 to 100	Maximum 20 acres as per requirement
7	More than 100	As per the recommendation of the Empowered Committee

6.3.2 Units shall ensure commercial production within 2 years from the date of allotment of land, failing which the order for allotment of such land may be cancelled.

6.3.3 Units must ensure continuous operation for a minimum period of three years from date of commercial production.

6.3.4 A minimum 60% of the total allotted land must be reserved for IT operations and the remaining 40% area may be used for other purposes e.g. establishment of ancillary, subsidiary and support services.

6.4 ***Rebate on Lease/Rental Space*** — Units established in the state operating from leased or rented space, will be eligible for reimbursement up to 50% of lease or rental charges for the space, with maximum limit of Rs.10 lakhs, for a period of 3 years from the date of start of commercial production.

6.5 ***Exemption on Stamp Duty*** — Units established in the state will be entitled for 100% exemption from payment of Stamp Duty on direct purchase/lease on allotted land. Apart from this, as second & last transaction, if that property is transferred to another IT unit on sale or lease during policy period then the property transfer will be entitled for 100% Stamp Duty exemption.

6.6 ***Exemption on CST and Entry Tax*** — Units established in the state will be entitled to 100% exemption on CST and Entry Tax, for a period of 10 years from the date of commencement of production or up to introduction of GST in the state whichever is earlier.

6.7 ***Exemption on Electricity Duty***— Units established in the state will be entitled for 100% exemption from payment of electricity duty on self consumption up to 12 years from the date of commencement of commercial production

6.8 ***Incentive for Project Report***— Units established in the state will be entitled for an incentive through reimbursement on expenditure for preparation of "Project Report" prepared by national / internationally renowned financial institutions or project consultants up to actual expenditure or 1% of fixed capital investment with a maximum limit of Rs.4 lakh.

6.9 ***Assistance for Recruitment & Training***— Units established in the state will be entitled for one time assistance for recruitment & training of Rs 20,000 per IT professional on recruitment with a maximum limit of Rs.10 lakhs per year during first three years from the date of start of commercial production

6.10 ***Grant on EPF for employment generation*** — Units established in the state, after start of commercial production shall be reimbursed EPF amount paid for its IT/ ITeS professionals, for initial period of 7 years as indicated in the table given below–

Sr. No.	Employee	Grant on EPF (in percentage)	Maximum limit for incentive and time period
1.	Male	75% of total EPF amount paid	Maximum of Rs.10 Lakhs per annum for EPF amount paid upto 7 years.
2.	Female	100% of total EPF amount paid	

7. Additional Incentives -

7.1 Preference to domicile of Chhattisgarh in employment–

Units established in the state, having more than 50% employees belonging to domicile of Chhattisgarh, will be entitled for additional incentive of 5% over and above the incentive mentioned in para no. 6.1, 6.2 & 6.3 besides an increase of 5% in the maximum limit for the above said incentive.

7.2 Investment during first year -

Units starting commercial production during 1st year of above said policy period, will be entitled for additional incentive of 5% over and above the incentive mentioned in para no. 6.1, 6.2 & 6.3 besides an increase of 5% in the maximum limit for the above said incentive

7.3 For Micro, Small and Medium Enterprises -

7.3.1 **Incentive for *Quality Certification*** — MSME Units established in the state will be entitled for an incentive through reimbursement of 50% expenditure on ISO–9000, ISO-14000 or other similar national/international certification, with a maximum limit of Rs. 7 lakhs. The Unit can avail this incentive for maximum of 2 quality certificates per unit per annum.

7.3.2 ***Incentive for Technical Patent***— MSME Units established in the state will be entitled for an incentive through reimbursement of 50% expenditure on technical patents on the name of unit, with a maximum limit of Rs. 10 lakhs. The Unit can avail this incentive for maximum of 2 technical patents per unit per annum.

7.3.3 ***Subsidy on Bandwidth Charges***— MSME Units established in the state will be entitled for subsidy through reimbursement of 30% of the total charges paid towards availing internet bandwidth from ISP, with a maximum limit of Rs. 3 lakh per annum paid up to 3 years.

7.4 **For Large Investors -**

7.4.1 Entrepreneurs, with an investment more than 100 Crores during policy period, may be considered for additional incentives over and above the incentives as given in policy on case to case basis.

7.4.2 IT infrastructure developers, having experience of IT infrastructure development on more than 3 lakh sq. feet area in past 5 years, with an investment more than 100 crores, may be considered for additional incentives over and above the incentives as given in policy on case to case basis.

8. Special Incentive Package

8.1 The Units which starts their commercial production during financial year 2015-2016, with minimum 500 employees, will be entitled to following incentives during policy period –

8.1.1 Preference in evaluation process by awarding bonus points in Technical Evaluation equivalent of 5% of maximum score in IT related tenders of Chhattisgarh Government

8.1.2 Free of cost advertising space, if available, in Government sponsored events for IT units in the state

8.2 The state would ensure uninterrupted quality power supply at most competitive tariff to the units.

8.3 Relaxations under Shops & Establishments Act in working hours, work shifts and employment of women.

8.4 Applicability of all relaxations under the Industrial Disputes Act and Contract Labour Act to all Electronics,IT and ITeS units in the State on par with Special Economic Zones.

8.5 Notifying Electronics, IT & ITeS units as continuous process units.

8.6 Permission to Electronics,IT and ITeS units for self-certification of reports, returns.

8.7 All units under this policy will be declared as essential service under Essential Services Maintenance Act.

9. Empowered Committee

An empowered committee (EC) will be constituted for guidance, inter departmental coordination, monitor and review implementation policy and to encourage establishment of units in the state. The committee shall consist of the following members –

1	Chief Secretary	Chairman
2	ACS / Principal Secretary/ Secretary, Finance Department	Member
3	ACS / Principal Secretary/ Secretary, Commerce and Industries.	Member
4	ACS / Principal Secretary / Secretary, Housing and Environment.	Member
5	Principal Secretary / Secretary, Electronics and Information Technology	Member
6	Principal Secretary / Secretary, Revenue	Member
7	Director, Commerce and Industries	Member
8	Chief Executive Officer, Naya Raipur Development Authority	Member
9	Vice Chairman, CHiPS	Member
10	Chief Executive Officer, CHiPS	Member Secretary

The Empowered Committee may invite any other representatives as per requirement. All decisions of EC regarding this policy shall be final and shall be binding to all the concerned parties including investors in the state.

Functions of Empowered Committee —

9.1 To approve the action plan for this policy, monitor implementation of policy and periodic reviews.

9.2 Issue directives to concerned state government departments/organisations on guidelines, notifications, etc. to be issued.

9.3 Necessary guidance for operation of single window system and its review;

9.4 Formulating procedures and terms and conditions for various incentives, sanctions and review of timely flow of incentives to the investors by the various departments and organizations including land allotment for the effective implementation of the policy.

9.5 To recommend additional incentives/concessions for large investments more than Rs.100 crores;

10. The Nodal Agency

CHiPS will act as nodal agency for this policy and would appoint a nodal officer for Single Window Clearance.

Functions of Nodal agency

10.1 Establish an Online portal as a single point of contact between investor and the state for receiving investment proposals and release of necessary sanctions and approvals and their monitoring.

10.2 Facilitate smooth submission of reports/ returns in electronic formats for industries under the policy.

10.3 Develop appropriate manpower skills and competencies to ensure adequate quality manpower for the industry in association with training and skill development institutions.

10.4 Allot built up space, if any, on lease to Micro, Small, and Medium Enterprises IT/ITeS units;

10.5 Enter into appropriate MoU with investors.

10.6 Will take other appropriate steps for effective implementation of the policy.

11. OTHER CONDITIONS

11.1 The policy would be effective from 01st November 2014 till 31st October 2019.

11.2 If the incentives and concessions of Industrial Policy 2014-19 are more beneficial compared to Electronics, IT and ITeS investment policy then the investor can choose incentives under any one policy.

11.3 The incentives under the policy will be provided only to the 'new units' that commenced their commercial production/operations after the 01 November 2014.

11.4 If any unit established in the state is eligible for any incentive of Government of India policy then that unit can avail the benefits under State Electronics, IT and ITeS investment policy, if eligible, along with Government of India policy.

11.5 If any unit avails the incentives/concessions under the policy on fraudulent grounds then the same will be cancelled and recovered/withdrawn without any notice.

11.6 All concerned state government departments/organizations will issue necessary notifications regarding various incentives/concessions provided under this policy within one month from date of issue of this policy

11.7 Electronics and IT Department shall issue necessary guidelines, clarifications, interpretation from time to time in order to resolve any issue regarding implementation of this policy.

छत्तीसगढ़ शासन
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर

अधिसूचना

रायपुर दिनांक–25 फरवरी, 2015

क्रमांक–एफ 4–12/2014/56/इसूप्रौ:: राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं में निवेश की नीति, 2014–19, जो दिनांक 1 नवम्बर 2014 से 31 अक्टूबर 2019 तक के लिए प्रभावी होगी, संलग्न परिशिष्ट अनुसार अधिसूचित करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

25/2/15

बी आनंद बाबू
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

क्रमांक–एफ 4–12/2014/56/इसूप्रौ　　　　　　　　रायपुर दिनांक–25 फरवरी, 2015

प्रतिलिपि–

1 महामहिम राज्यपाल के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़

2 प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा, रायपुर

3 महापंजीयक, उच्च न्यायालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़

4 माननीय मुख्य मंत्री छत्तीसगढ़ शासन के सचिव

5 माननीय मंत्री/राज्य मंत्री के विशेष सहायक/निज सचिव/निज सहायक (समस्त)

6 मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन के उप सचिव

7 अध्यक्ष, राजस्व मंडल, बिलासपुर, छत्तीसगढ़

8 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन (समस्त)

9 महालेखाकार, छत्तीसगढ़

10 उप सचिव, महाधिवक्ता कार्यालय, छत्तीसगढ़

11 नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय, छत्तीसगढ़, राजनांदगांव की ओर असाधारण राजपत्र में प्रकाशन हेतु।

12 विभागाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ (समस्त)

13 संभागीय आयुक्त (समस्त), छत्तीसगढ़

14 संचालक, जनसम्पर्क, छत्तीसगढ़

15 कलेक्टर, छत्तीसगढ़ (समस्त)

16 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स की ओर सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही एवं राज्य एवं चिप्स की वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु।

17 राज्य सूचनाविज्ञान अधिकारी, राज्य सूचनाविज्ञान केन्द्र, छत्तीसगढ़

– की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सौरभ कुमार
उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

छत्तीसगढ़ राज्य की इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं में निवेश की नीति

(2014–19)

(01 नवम्बर 2014 से प्रभावी)

छत्तीसगढ़ शासन
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

अनुक्रम

1.	प्रस्तावना	03
2.	विजन	03
3.	उद्देश्य	03
4.	छत्तीसगढ़ में निवेश के लाभ	04
5.	परिभाषाएं	06
6.	इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाएं क्षेत्र के उद्योगों को प्रस्तावित प्रोत्साहन	06
7.	अतिरिक्त प्रोत्साहन	08
8.	विशेष प्रोत्साहन पैकेज	09
9.	सशक्त समिति	10
10.	नोडल एजेन्सी	11
11.	अन्य शर्तें	12

1. प्रस्तावना :–

छत्तीसगढ़ राज्य सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई–गवर्नेन्स के माध्यम से सुशासन प्रदाय करने वाले राज्यों में अग्रणी है। राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा ई–गवर्नेन्स के माध्यम से नागरिको को सेवा प्रदाय करने का प्रयास किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर माननीय प्रधानमंत्री द्वारा परिकल्पित 'Make in India' के परिपेक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा राज्य में 'Make in Chhattisgarh' की परिकल्पना की गयी है। इस परिवेश में राज्य में इलेक्ट्रॉनिक मेन्युफेक्चरिंग क्लस्टर स्थापना एवं आई.टी./आई.टी.ई.एस. आधारित उद्योगों का निवेश बढ़ाने हेतु नवीन नीति आवश्यक है। इस नीति के अंतर्गत निवेशकों को स्थायी एवं चालू पुंजी पर प्रोत्साहन के साथ आई.टी. अधोसंरचना विकास तथा क्षमता विकास कार्य संबंधी निवेशकों को भी प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है। निवेशकों के मार्गदर्शन एवं नीति के अंतर्गत प्रस्तावित प्रोत्साहन समय पर प्रदाय करने हेतु आनलाईन सिंगल विन्डो संचालन किया जायेगा तथा उच्चस्तरीय सशक्त समिति द्वारा नियमित समीक्षा की जायेगी। अतएव राज्य शासन एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं में निवेश नीति 2014–19 अधिसूचित करती है।

2. विजन

छत्तीसगढ़, अपने आर्थिक विकास की कुंजी के तौर पर सूचना और संचार तकनीकी के महत्व को स्वीकार करता है।

तद्नुसार इस राज्य में सूचना संपन्न, सकिय और जवाबदेह नागरिकों के माध्यम से, जो सच्चे लोकतंत्र की आधारशिला हैं, एक सूचना संपन्न समाज के निर्माण की परिदृष्टि के साथ अपनी सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवा की नीति तैयार की है। राज्य की सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवा निवेश नीति इस प्रकार रुपांकित की गई है जिससे राज्य के समाजिक आर्थिक विकास में प्रभावीढंग से योगदान करने के लिये एक ई–सक्षम समाज के निर्माण का सरकार का स्वप्न सकार हो सके।

3. उद्देश्य

3.1 राज्य में इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं संबंधी निवेश को बढ़ावा देना।

3.2 नया रायपुर तथा राज्य के अन्य मुख्य शहरों को इलेक्ट्रॉनिक मेन्युफेक्चरिंग क्लस्टर्स एवं आई.टी हब को विकसित कर स्थानीय रोजगार एवं जीएसडीपी (GSDP) में वृद्धि दर प्राप्त करना।

3.3 इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं संबंधी उद्योग के आवश्यकतानुसार स्थानीय युवाओं का कौशल उन्नयन करना।

3.4 सूचना प्रौद्योगिकी अधोसंरचना विकास कार्य हेतु निवेशकों (**IT Infra Developers**) को उपरोक्त नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन प्रदाय करते हुए आई.टी हब विकास को गति प्रदाय करना।

4. छत्तीसगढ़ में निवेश के लाभ –

4.1 नया रायपुर–भारत के प्रथम स्मार्ट सिटी तथा अप कमिंग आई.टी. हब

नया रायपुर 237 वर्ग कि0मी0 क्षेत्रफल में विस्तारित भारत की प्रथम स्मार्ट सिटी है, जहाँ रूपये 5,000 करोड़ निवेश किया जा चुका है एवं इसके अतिरिक्त रूपये 10,000 करोड़ के निवेश कार्य जारी है।

नया रायपुर को राज्य के IT Hub के रुप में विकसित करने हेतु आई.टी. निवेश क्षेत्र (Information Technology Investment Region) प्रस्तावित किया गया है। Plug & Play अधोसंरचना के रुप में आई.टी. टॉवर विकसित करने हेतु कार्य प्रारंभ किया गया है। इस शहर में आई.टी. इंकुबेशन सेन्टर तथा स्टार्टअप विलेज विकसित करने हेतु प्रस्तावित किया गया है। इस शहर में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण कलस्टर (Electronic Manufacturing Cluster) स्थापित करने हेतु संपूर्ण सेक्टर आरक्षित किया गया है।

इस शहर में IT Hub को शीघ्र स्थापित करने हेतु आई.टी. अधोसंरचना डेवलपर को उपरोक्त नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन प्रस्तावित किया गया है। आई.टी. स्कील डेवलपमेन्ट संस्थाओं को उपरोक्त नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन देते हुए आवश्यकतानुसार प्रशिक्षित युवाओं को उपलब्ध करना प्रस्तावित किया गया है।

4.2 निवेश पर प्रतिफल (रिटर्न आन इंवेस्टमेंट)

स्थायी एवं चालू पुंजी पर उपरोक्त नीति के अंतर्गत प्राप्त होने वाले अनुदान, न्यूनतम स्थापना एवं संचालन व्यय एवं अन्य विकसित राज्यों के शहरों की तुलना में छत्तीसगढ़ के शहरो में जीवन यापन पर कम व्यय होने के कारण निवेशकों को निवेश पर अधिक प्रतिफल (High returns on investment) प्राप्त होना।

4.3 मानव संसाधन

राज्य में स्थापित राष्ट्रीय ख्याति के शैक्षणिक संस्थान जैसे कि भारतीय प्रबंध संस्थान (IIM), भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT), राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NIT), भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (IIIT), हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (HLNU), अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानन्द तकनीकी विश्वविद्यालय, गुरू घासीदास केन्द्रीय विश्वविद्यालय एवं राज्य के 50 इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय, 25 पॉलिटेक्निक एवं 118 आईटीआई से आवश्यक मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।

मानव संसाधन की क्षमता विकास करने हेतु राज्य में स्कील डेव्लपमेन्ट मिशन के माध्यम से क्षमता विकास कार्यक्रम संचालित है। इलेक्ट्रॉनिक्स, आई.टी. / आई.टी.ई.एस. उद्योग के आवश्यकता अनुरूप स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण देने हेतु उपरोक्त नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन देते हुए स्कील डेवलपमेन्ट संस्थाओं की स्थापना के लिये विशेष प्रयास किया जायेगा ।

राज्य के तकनीकी विश्वविद्यालयों के साथ समन्वय स्थापित कर युवाओं को प्रशिक्षित करना एवं कॉमन कैम्पस चयन द्वारा रोजगार उपलब्ध करने हेतु प्रयास किया जायेगा।

4.4 विद्युत

छत्तीसगढ़ राज्य भारत के पॉवर सरप्लस राज्यों में अग्रणी है। वर्तमान में 21000 मेगावाट विद्युत उत्पादन के साथ 12वीं पंचवर्षीय योजना अंत तक 41000 मेगावाट विद्युत उत्पादन कार्य जारी है। राज्य के विद्युत टेरिफ भारत वर्ष के औसत टेरिफ से 35 प्रतिशत सस्ता है। सस्ते दर पर उपलब्ध निर्बाध विद्युत व्यवस्था इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण कलस्टर (Electronic Manufacturing Cluster) एवं आई.टी. / आई.टी.ई.एस. उद्योग संचालन व्यय कम करने में उपयोगी होगा तथा उत्पादन लागत में कमी आयेगा।

4.5 स्थानीय व्यापार की संभावनाएं

छत्तीसगढ़ राज्य स्टील, सीमेन्ट उत्पादन, थर्मल पावर प्लांट द्वारा ऊर्जा उत्पादन एवं माईनिंग सेक्टर में देश में अग्रणी है। छ0ग0 राज्य के विभिन्न विभाग ई–गवर्नेंस के माध्यम से नागरिकों को विभिन्न ई–सेवाएं प्रदाय करते है एवं डिजिटल शासन उपयोग करने वाले राज्यो में अग्रणी है। अतः उपरोक्त औद्योगिक क्षेत्र एवं शासकीय विभागो में भी आई.टी. / आई.टी. आधारित सेवाएं एवं आटोमेशन हेतु प्रबल संभावनाएं हैं जिससे निवेशकों को स्थानीय व्यापार वृद्धि में सहायता प्राप्त होगा।

4.6 अन्य अधोसंरचना

4.6.1 छ0ग0 राजधानी से विभिन्न राज्यों के मुख्य शहरों से हवाई संपर्क के साथ–साथ रेल्वे के ईस्ट–वेस्ट कॉरिडोर राज्य के मध्य गुजरती है।

4.6.2 भूकंप, बाढ़, तूफान एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित क्षेत्र होने एवं पर्याप्त सामाजिक अधोसंरचना विकसित होने के कारण प्रस्तावित निवेश मुख्यतः डेटा रिकवरी सेन्टर, डेटा सेन्टर आदि स्थापना हेतु राज्य के नया रायपुर, रायपुर, भिलाई–दुर्ग, बिलासपुर एवं कोरबा शहर अत्यंत उपयुक्त है।

4.6.3 उत्कृष्ट सामाजिक अधोसंरचना के अंतर्गत मल्टी स्पेशिलिटी हेल्थ केयर अस्पताल जैसे कि अपोलो, फोर्टिस तथा एम्स उपलब्ध है।

4.6.4 रायपुर शहर में 20 लाख वर्गफिट में पी.वी.आर., आईनॉक्स, सिनेमेक्स आदि के साथ शापिंग मॉल हैं।

4.6.5 उत्कृष्ट होटल जैसे कि ताज, हयात, मेरीऑट, एवं लक्ज़री ब्रांड जैसे जाग्वार, ऑडी तथा बी.एम.डब्ल्यू. उपलब्ध है।

5. **परिभाषा** – इलेक्ट्रॉनिक्स, आई.टी. उद्योग या आई.टी. समर्थित सेवा आधारित उद्योग का तात्पर्य है कि–

5.1 राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति–2012 में परिभाषित ESDM उद्योग

5.2 इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (DeitY) द्वारा परिभाषित आईटी हार्डवेयर आधारित उद्योग

5.3 आई.टी. सॉफ्टवेयर, प्रोडक्टस आधारित इकाई

5.4 आई.टी. समर्थित सेवायें संबंधी इकाई

5.5 डाटा सेंटर

5.6 आई.टी./इलेक्ट्रॉनिक प्रशिक्षण संस्थान

5.7 इलेक्ट्रानिक्स एवं आई.टी. से संबंधित अन्य उद्योग जो छ0ग0 राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्यागिकी विभाग द्वारा परिभाषित हो।

5.8 आई.टी. अधोसंरचना विकास, आई.टी. पार्क, आई.टी.एस.ई.जेड. आदि

5.9 सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा परिभाषित अनुसार इकाईयों को सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग के श्रेणी में वर्गीकृत किया जायेगा।

6. इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाएं क्षेत्र के उद्योगों को प्रोत्साहन–

6.1 **स्थायी पूंजी निवेश अनुदान** – राज्य में इकाई की स्थापना पर भूमि की लागत को छोड़कर किये गये स्थायी पूंजी निवेश का 50 प्रतिशत समतुल्य राशि, अधिकतम रूपये 150 लाख प्रति इकाई देय होगी।

6.2 **ब्याज अनुदान**– राज्य में इकाई की स्थापना पर टर्म लोन एवं कार्यशील पूंजी पर प्रतिवर्ष भुगतान किये गये ब्याज का 75 प्रतिशत अधिकतम रूपये 110 लाख तक

प्रतिपूर्ति की जाएगी, जो वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के 8 वर्ष की अवधि तक देय होगी।

6.3 **भूमि के प्रीमियम पर छूट**— राज्य के अधिसूचित सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में इकाई की स्थापना पर, 80 प्रतिशत राशि भूमि प्रीमियम छूट के रूप में देय होगी।

6.3.1 ऐसी प्रत्येक इकाई को परियोजना निवेश के आधार पर निम्न तालिका अनुसार भूमि आबंटित की जायेगी–

क्रमांक	निवेशित राशि/इकाई (करोड़ रूपयों में)	रियायती दरों पर उपलब्ध भूमि
1	1 से 3	आवश्यकता के अनुसार अधिकतम 1 एकड़
2	3 से 5	आवश्यकता के अनुसार अधिकतम 2 एकड़
3	5 से 10	आवश्यकता के अनुसार अधिकतम 3 एकड़
4	10 से 20	आवश्यकता के अनुसार अधिकतम 5 एकड़
5	20 से 50	आवश्यकता के अनुसार अधिकतम 10 एकड़
6	50 से 100	आवश्यकता के अनुसार अधिकतम 20 एकड़
7	100 से अधिक	सशक्त समिति की अनुशंसा अनुसार

6.3.2 इकाई को भूमि आबंटन होने के दिनांक से 2 वर्ष के भीतर इकाई का वाणिज्य उत्पादन करना आवश्यक होगा, अन्यथा भूमि आबंटन आदेश निरस्त किया जायेगा।

6.3.3 इकाईयों का स्थापना उपरांत कम से कम तीन वर्ष तक इकाई से वाणिज्यिक उत्पादन करना अनिवार्य होगा।

6.3.4 इकाई को आबंटित भूमि का न्यूनतम 60 प्रतिशत क्षेत्र आई टी संचालन के लिए आरक्षित रखना है तथा शेष 40 प्रतिशत क्षेत्र का उपयोग अन्य प्रयोजनों जैसे– एंसीलरी की स्थापना, सहायक एवं समर्थित सेवाएं हेतु किया जा सकता है।

6.4 **लीज/किराये पर छूट**— राज्य में स्थापित ऐसी इकाई, जिसका संचालन लीज/किराये के स्थान में हो रहा है, उन्हें लीज/किराये की दर में 50 प्रतिशत राशि, जिसकी अधिकतम सीमा रू. 10 लाख प्रति वर्ष होगी, की प्रतिपूर्ति वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से अधिकतम 3 वर्ष तक की जावेगी।

6.5 **स्टॉम्प ड्यूटी में छूट**– राज्य में स्थापित इकाई को सीधे क्रय अथवा लीज़ पर आबंटित भूमि के लिये देय स्टॉम्प ड्यूटी पर शत् प्रतिशत छूट रहेगी। इसके अतिरिक्त दुबारा एवं अंतिम बार उक्त इकाई के क्रय/लीज पर अन्य आई टी संस्थान को अंतरित किये जाने पर देय स्टॉम्प ड्यूटी के भुगतान पर भी शत् प्रतिशत छूट रहेगी।

6.6 **सेंट्रल सेल्स टैक्स (सीएसटी)/प्रवेश कर में छूट**– राज्य में स्थापित इकाई पर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के दिनांक से 10 वर्ष तक या राज्य में GST लागू होने तक जो भी पहले हो, सेंट्रल सेल्स टैक्स (सीएसटी) व प्रवेश कर के भुगतान से शत प्रतिशत छूट होगी।

6.7 **विद्युत शुल्क से छूट**– राज्य में स्थापित इकाई को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के दिनांक से 12 वर्ष तक स्वयं हेतु उपभुक्त विद्युत यूनिटों पर विद्युत शुल्क के भुगतान से शत प्रतिशत छूट की पात्रता होगी।

6.8 **परियोजना प्रतिवेदन पर प्रोत्साहन**– राज्य में स्थापित इकाई को प्रतिष्ठित, राष्ट्रीय/ अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों, परियोजना सलाहकारों से तैयार किये गये "परियोजना प्रतिवेदन" हेतु वास्तविक व्यय राशि या निवेश की जाने वाली स्थायी पूंजी की 1 प्रतिशत् राशि अधिकतम रु. 4 लाख की राशि की प्रतिपूर्ति की जावेगी।

6.9 **भर्ती एवं प्रशिक्षण सहायता**– राज्य में स्थापित इकाई को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 3 वर्ष की अवधि तक, संस्थान द्वारा आई.टी. प्रोफेशनल की भर्ती एवं प्रशिक्षण करने पर भर्ती एवं प्रशिक्षण हेतु अनुदान रु. 20,000/– प्रति व्यक्ति के मान से अधिकतम रु. 10 लाख प्रतिवर्ष की सहायता देय होगी।

6.10 **रोजगार सृजन हेतु ईपीएफ अनुदान**– राज्य में स्थापित इकाई को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के बाद प्रारंभिक 7 वर्ष में संस्था द्वारा आई.टी प्रोफेशनल की नियुक्ति उपरांत जमा की गई ईपीएफ की राशि पर निम्न तालिका अनुसार प्रतिपूर्ति की जायेगी–

क्रं.	कर्मचारी	ईपीएफ अनुदान (प्रतिशत में)	प्रोत्साहन की अधिकतम सीमा तथा अवधि
1	पुरुष	जमा की गई ईपीएफ की राशि का 75 प्रतिशत	ईपीएफ की भुगतान की गई राशि का अधिकतम रु. 10 लाख प्रतिवर्ष वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से 7 वर्षों तक।
2	महिला	जमा की गई ईपीएफ की राशि का 100 प्रतिशत	

7. अतिरिक्त प्रोत्साहन–

7.1 छत्तीसगढ़ के मूल निवासी को रोजगार हेतु प्राथमिकता

राज्य में स्थापित इकाई जिसमें 50 प्रतिशत से अधिक कर्मचारी छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं तो कंडिका क्रमांक 6.1, 6.2 तथा 6.3 में देय प्रोत्साहन के साथ 5 प्रतिशत का अतिरिक्त प्रोत्साहन देय होगा। इस हेतु उपरोक्त प्रोत्साहन की अधिकतम सीमा को भी 5 प्रतिशत बढ़ाया जायेगा।

7.2 प्रथम वर्ष में निवेश हेतु

प्रस्तावित नीति के प्रथम वर्ष की अवधि में वाणिज्यिक उत्पादन करने वाली इकाईयों को उपरोक्त प्रोत्साहनों में दर्शायी कंडिका क्रमांक 6.1, 6.2 तथा 6.3 में देय प्रोत्साहन के साथ 5 प्रतिशत का अतिरिक्त प्रोत्साहन प्राप्त करने की पात्रता होगी। इस हेतु प्रोत्साहन की अधिकतम सीमा को भी 5 प्रतिशत बढ़ाया जायेगा।

7.3 सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी उद्यमों हेतु

7.3.1 **गुणवत्ता प्रमाणन हेतु प्रोत्साहन**– राज्य में स्थापित सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी इकाई द्वारा राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय संस्थान जैसे – ISO-9000, ISO-14000 या आदि से गुणवत्ता प्रमाणन हेतु व्यय की गई राशि का 50 प्रतिशत अंश की राशि अथवा अधिकतम रु. 7 लाख की प्रतिपूर्ति गुणवत्ता प्रमाणन प्रोत्साहन के रूप में देय होगी। प्रतिवर्ष अधिकतम दो गुणवत्ता प्रमाणपत्र के लिए ही प्रोत्साहन की पात्रता रहेगी।

7.3.2 **तकनीकी पेटेंट हेतु प्रोत्साहन**– राज्य में स्थापित सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी इकाई द्वारा तकनीकी पेटेंट प्राप्त करने के लिये व्यय की गई राशि का 50 प्रतिशत समतुल्य की राशि अथवा अधिकतम रु. 10 लाख की राशि की प्रतिपूर्ति तकनीकी पेंटेट प्रोत्साहन के रुप में देय होगी। प्रतिवर्ष अधिकतम दो तकनीकी पेटेंट के लिए ही प्रोत्साहन की पात्रता रहेगी।

7.3.3 **बैंडविड्थ चार्जेस हेतु अनुदान**– राज्य में स्थापित सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी इकाई को इंटरनेट सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराई गयी, इंटरनेट बैंडविड्थ सुविधा के लिये देय कुल प्रभार (चार्जेस) का 30 प्रतिशत, अधिकतम रु. 3 लाख प्रतिवर्ष के मान से 3 वर्ष तक प्रतिपूर्ति की जावेगी।

7.4 बड़े निवेशकों हेतु –

7.4.1 नीति की अवधि में रूपये 100 करोड़ से अधिक निवेश करने वाले उद्यमियों को इस नीति में उल्लेखित प्रोत्साहनों के अतिरिक्त प्रोत्साहन स्वीकृत करने पर प्रकरणवार विचार किया जायेगा।

7.4.2 ऐसे सूचना प्रौद्योगिकी अधोसंरचना विकासकर्ता, जिनको विगत 5 वर्षों में 3 लाख वर्गफुट से अधिक क्षेत्रफल में 100 करोड़ के निवेश से सूचना प्रौद्योगिकी अधोसंरचना विकसित करने का अनुभव हो, इस नीति में उल्लेखित प्रोत्साहनों के अतिरिक्त प्रोत्साहन स्वीकृत करने पर प्रकरणवार विचार किया जायेगा।

8. विशेष प्रोत्साहन पैकेज –

8.1 राज्य में स्थापित ऐसी इकाई जिसमें वित्तीय वर्ष 2015–16 की अवधि में न्यूनतम 500 कर्मचारियों का नियोजन कर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने पर इस नीति की अवधि में निम्नानुसार विशेष प्रोत्साहन प्राप्त करने की पात्रता होगी –

8.1.1 छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आई.टी. क्षेत्र में आमंत्रित निविदा की तकनीकी मूल्यांकन प्रकिया में निर्धारित अधिकतम अंक का 5 प्रतिशत समतुल्य अंक बोनस अंक के रुप में आंबटित कर मूल्यांकन में वरीयता दी जायेगी।

8.1.2 राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी के इकाईयों को, शासन द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों में विज्ञापन हेतु स्थान उपलब्ध होने पर निःशुल्क स्थान उपलब्ध कराया जायेगा।

8.2 इकाईयों को प्रतिस्पर्धात्मक दर पर गुणवत्ता एवं कटौती रहित विद्युत आपूर्ति राज्य द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

8.3 दुकान एवं स्थापना अधिनियम में वर्णित कार्यशील घंटों, कार्यपाली और महिला कर्मियों हेतु आवश्यक रियायतें दी जायेगी।

8.4 विशेष आर्थिक क्षेत्रों के समतुल्य राज्य के समस्त इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी एवं आईटीईएस इकाई को औद्योगिक विवाद अधिनियम और संविदा श्रमिक अधिनियम के अधीन प्रभावशील सभी रियायतें प्राप्त होगी।

8.5 इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवा की इकाईओं को सतत् निर्माण इकाईयों की श्रेणी में अधिसूचित की जायेगी।

8.6 इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी/ सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं की इकाईयों को विभिन्न नियमों के अंतर्गत प्रतिवेदनों/रिटर्नों को स्वयं सत्यापित करने हेतु अनुमति दी जायेगी।

8.7 इस नीति के अंतर्गत समस्त इकाईयों के कार्य को अत्यावश्यक सेवा संधारण अधिनियम के अंतर्गत अत्यावश्यक सेवा घोषित किया जायेगा।

9. सशक्त समिति –

9.1 इस नीति के अन्तर्गत राज्य में इकाईयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु तथा नीति क्रियान्वयन की समीक्षा, तथा विभिन्न मुद्दों पर अंतर्विभागीय समन्वय एवं मार्गदर्शन करने हेतु सशक्त समिति गठित की जायेगी। इस समिति का स्वरुप निम्नानुसार है –

(1) मुख्य सचिव–	अध्यक्ष
(2) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग–	सदस्य
(3) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग–	सदस्य
(4) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, आवास एवं पर्यावरण–	सदस्य
(5) प्रमुख सचिव/सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी–	सदस्य
(6) प्रमुख सचिव/सचिव, राजस्व–	सदस्य
(7) संचालक, वाणिज्य एवं उद्योग–	सदस्य
(8) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर विकास प्राधिकरण–	सदस्य
(9) उपाध्यक्ष, चिप्स –	सदस्य
(10) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स–	सदस्य सचिव

समिति द्वारा आवश्यकतानुसार अन्य व्यक्तियों को आमंत्रित किया जा सकेगा। सशक्त समिति द्वारा इस नीति के संबंध में लिये गये निर्णय अंतिम होंगे तथा सभी संबंधित पक्षकार जिनमें निवेशक भी सम्मिलित हैं, पर बन्धनकारक होंगे।

9.2 सशक्त समिति के दायित्व–

9.2.1 इस नीति के क्रियान्वयन के संबंध में योजनाओं का अनुमोदन, नीति के क्रियान्वयन पर निगरानी तथा समय–समय पर समीक्षा करना।

9.2.2 राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/अभिकरणों द्वारा अधिसूचना एवं मार्गदर्शन इत्यादि समय पर जारी कराना।

9.2.3 सिंगल विंडो प्रणाली के संचालन हेतु आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करना तथा प्रणाली की समीक्षा करना।

9.2.4 विभिन्न प्रोत्साहन देने हेतु प्रक्रिया एवं शर्त आदि का निर्धारण करना तथा नीति के सफल क्रियान्वयन हेतु निवेशक को समय पर प्रोत्साहन प्रदाय कराने एवं इकाई को भू–आवंटन कराने के कार्य की समीक्षा करना।

9.2.5 रु. 100 करोड़ से अधिक के निवेश हेतु अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान करने की अनुशंसा करना।

10. नोडल एजेंसी

इस नीति के क्रियान्वयन हेतु चिप्स नोडल एजेंसी है। एकल खिड़की के लिए चिप्स द्वारा एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जायेगी।

नोडल एजेंसी के दायित्व–

10.1 निवेशकों के प्रस्ताव प्राप्त करने तथा प्राप्त प्रस्ताव पर स्वीकृति की मॉनिटरिंग हेतु ऑनलाईन पोर्टल की स्थापना करना, ताकि निवेशकों एवं राज्य शासन के मध्य एकल संपर्क रहे।

10.2 इलेक्ट्रॉनिक, सूचना प्रौद्योगिकी–सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवा उद्योगों के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रारुपों में प्रतिवेदनों/रिटर्नों की प्रस्तुति को सुगम बनाना।

10.3 प्रशिक्षण और शिक्षण संस्थाओं के सहयोग से समुचित मानव कौशल और क्षमताओं को विकसित करना।

10.4 सुक्ष्म, लधु एवं मध्यम आई.टी एवं आई.टी.ई.एस इकाईयों (MSME) की स्थापना के लिए निर्मित क्षेत्र उपलब्ध कराना।

10.5 निवेशकों के साथ एमओयू का निष्पादन करना।

10.6 आवश्यकतानुसार नीति के क्रियान्वयन हेतु अन्य कार्यवाई।

11. अन्य शर्ते –

11.1 यह नीति दिनांक 1 नवम्बर 2014 से 31 अक्टूबर 2019 के लिए लागू होगी।

11.2 राज्य की औद्योगिक नीति 2014–19 में प्रावधानित कतिपय प्रोत्साहन/रियायतें यदि इस नीति की तुलना में अधिक हैं, तो इकाईयों को उक्त दोनों नीतियों में से, किसी एक नीति के प्रोत्साहन/रियायतों को चुनने का विकल्प रहेगा।

11.3 इस नीति के अंतर्गत दिये जा रहे प्रोत्साहनों का लाभ की पात्रता ऐसे नवीन इलेक्ट्रॉनिक, सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवा की इकाईयों को रहेगी। जो 01 नवम्बर 2014 के पश्चात् वाणिज्यिक उत्पादन/संचालन प्रारंभ किया है।

11.4 यदि इस नीति के अंतर्गत राज्य में स्थापित इकाई द्वारा भारत सरकार की नीतियों के अन्तर्गत अनुदान/रियायत प्राप्त की है, तो ऐसी इकाईयों को उक्त अनुदान/रियायत के अतिरिक्त राज्य की नीति के अन्तर्गत देय प्रोत्साहन/अनुदान/प्रतिपूर्ति प्राप्त करने की पात्रता यथावत रहेगी।

11.5 यदि इकाई द्वारा गलत तरीके से किसी प्रोत्साहन/छूट प्राप्त करता है तो ऐसी स्थिति में संस्थान को नीति के अन्तर्गत दी जा रही सुविधाओं को बिना पूर्व सूचना के निरस्त कर प्राप्त की गई रियायत/लाभ की वसूली की कार्यवाही की जायेगी।

11.6 राज्य की नीति में प्रावधानित विभिन्न प्रोत्साहन/सुविधाएं हेतु संबंधित विभागों द्वारा प्रोत्साहन/रियायत उपलब्ध करने के लिये आवश्यक अधिसूचनाएं इस नीति को जारी करने के तारीख से एक माह भीतर की जायेंगी।

11.7 उपरोक्त नीति के क्रियान्वयन में कठिनाईयों को दूर करने के लिये आवश्यक व्याख्या, स्पष्टीकरण, निर्देश समय–समय पर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जारी किया जायेगा।

....